न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–214/2020

भागविन्द्र सिह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी लूणासहारण वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. शान्ति देवी पत्नी धनराज } जाति जाट निवासी ढाणी लूणा सहारण वाली तहसील
2. नत्थूराम पुत्र धनराज } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. परमेश्वरी देवी पत्नी मदनलाल पुत्री धनराज } जाति जाट निवासी परलीका तहसील
4. गुड्डी देवी पत्नी संतलाल पुत्री धनराज } नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रामेती पत्नी रामकरण पुत्री धनराज जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. इमरतीदेवी पत्नी स्व0 मदनलाल पुत्री धनराज जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. शारदा पत्नी अमरजीत पुत्री धनराज } जाति जाट निवासी नथौर तहसील रानियां
8. कौशल्या पत्नी वकील पुत्री धनराज } जिला सिरसा हरि0।
9. मन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी अभिमन्यू जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. अन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी प्रवीण जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. नीतू पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

वादी भागविन्द्र सिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी की दादी शान्तिदेवी के नाम से संयुक्त खाता मे चक 4 एम.एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में कुल 7.0840 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की चरण सं0 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।वादी के दादा के नाम की जद्दी जायदाद की जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।वादी की दादी द्वारा अपने नाम से दर्ज वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी घरू बटवारां में वादी को दिया हुआ है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे प्रतिवादीगण सं0 2 ता 11 ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीया सं0 1 के नाम की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी शान्तिदेवी का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीयासं0 1 के नाम की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व खाता हाजा में से प्रतिवादीय सं0 1 का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। उपरोक्त आराजी पूर्व में प्रतिवादीया सं0 1 के पति के नाम थी। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वाी को घरू बटवारां में प्राप्त हुई है तथा हम प्रतिवादीगंण सं0 2 ता 11 ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को घरू बटवारां में प्राप्त आराजी है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 एम.एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में से प्रतिवादीया सं0 1 शान्तिदेवी का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम प्रतिवदीगण इससे पूर्णतया सहमत है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई।वादी भागविन्द्रसिह द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र,वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प व पैतृक सम्पति बाबत चक 4 एमएसटीएसएम सहित के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 31/19 व इसी चक के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 8/6 की वादी के दादा धनराज के नाम की जमाबन्दी की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों कों दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादी द्वारा चक 4 एमएसटीएसएम सहित के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 31/19 व इसी चक के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 8/6 की वादी के दादा धनराज के नाम की जमाबन्दी की प्रति पेश की है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद कों स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, स्टाम्प पैतृक सम्पति बाबत चक 4 एमएसटीएसएम सहित के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 31/19 व इसी चक के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 8/6 की वादी के दादा धनराज के नाम की जमाबन्दी की प्रति का गहराई से अध्ययन किया गया।

राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र वारिसनामा, पैतृक सम्पति बाबत दस्तावेज प्रस्तुत दस्तावेज चक 4 एमएसटीएसएम सहित के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 31/19 व इसी चक के जमाबन्दी संवत 2059 ता 62 के खाता सं0 8/6 की वादी के दादा धनराज के नाम की जमाबन्दी की प्रति व प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि शान्तिदेवी के नाम से चक 4 एम. एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में कुल 7.0840 है0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 एम.एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में से प्रतिवादीयासं0 1 शान्तिदेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–214/2020

भागविन्द्र सिह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी लूणासहारण वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. शान्ति देवी पत्नी धनराज
2. नत्थूराम पुत्र धनराज
} जाति जाट निवासी ढाणी लूणा सहारण वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. परमेश्वरी देवी पत्नी मदनलाल पुत्री धनराज
4. गुड्डी देवी पत्नी संतलाल पुत्री धनरांज
} जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रामेती पत्नी रामकरण पुत्री धनराज जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. इमरतीदेवी पत्नी स्व0 मदनलाल पुत्री धनराज जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. शारदा पत्नी अमरजीत पुत्री धनराज
8. कौशल्या पत्नी वकील पुत्री धनराज
} जाति जाट निवासी नथौर तहसील रानियां जिला सिरसा हरि0।
9. मन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी अभिमन्यू जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. अन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी प्रवीण जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. नीतू पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील सुभाषचन्द्र गर्ग वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि शान्तिदेवी के नाम से चक 4 एम.एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में कुल 7.0840 है0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 एम.एस.टी.एस.एम. सहित के खाता सं0 73/61 में से प्रतिवादीयासं0 1 शान्तिदेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल.....X.....मुब्लिक..X...निल......X....बाबत्.......X.....निल.......X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..22.01.2021..को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी